APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत.....मुकाम.....

.....बनाम.....

मुकद्दमा.....नं.....सन्.....

मुकदमा संख्या 05/2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible]	
28/12/22	अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य पेश होने पर तरफैन प्रतिपरीक्षण की पत्रावली दिनांक 18-1-23 को पेश हो।	
18/1/23	अभियोजन पक्ष की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के तरफ साक्ष्य पेश करने हेतु अभियोजन पक्ष की कई अवसर दिये जाने के बाद भी तरफ साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 92 ग. प्र.सं. 1973 अधि. तरफ साक्ष्य के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तामील रवाना हो।	

जिला कलक्टर
टोंक